

पत्रोंक-स्था-1-उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर सेवा संघ //

प्रेषक

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

( स्थापना-राजपत्रित अनुभाग )

महोदय,

लखनऊ:: दिनांक:: 3<sup>0</sup> सितम्बर, 2013

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ ने अपने पत्र दिनांक 05.09.2013 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त सेवा संघ के अधिवेशन का आयोजन दिनांक 07-11-2013 एवं 08-11-2013 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर लखनऊ में आयोजित होना निश्चित हुआ है। उक्त संघ द्वारा इस वार्षिक अधिवेशन के लिए दि 07-11-2013 एवं 08-11-2013 को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि संघ के उक्त वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के इच्छुक सदस्यों (अधिकारियों जो उपरोक्त संघ के घोषित सदस्य हैं) को 02 दिन अर्थात् दि 07-11-2013 एवं 08-11-2013 के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्हें अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के साथ-साथ स्टेशन छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

2- उपरोक्त संघ के ऐसे सदस्यों को जो सेवा से निलम्बित अथवा निष्कासित है अथवा अब उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के सदस्य नहीं रह गये हैं, को उपर्युक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। उक्त अवकाश स्वीकृत करने में यह भी ध्यान रखा जाये कि इन अवधियों में अवकाश के कारण राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो।

3- इस आशय की सूचना अपने जोन में कार्यरत एसोसियेशन के पदाधिकारियों एवं सदस्य अधिकारियों को भी दे दें और इस आशय की प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवा दें।

4- उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश G.O.No-2093/II-B,181-1957 दि 01-12-1958, G.O.No-2577/II-B,181-1957 दिनांक 08-07-1959 एवं G.O. No-1094/II-B,181-1957 दिनांक-21-07-1962 के क्रम में स्वीकृत किया जाता है।  
उक्त पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

श्री राजदेव

J.C.C.I.T)

01/10/13

प्रिण्टांकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं मनोरंजन कर विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

- 1- अध्यक्ष/ महामंत्री, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ कानपुर।
- 2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण), कर प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।
- 3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2 ( उच्च न्यायालय कार्य )इलाहाबाद/ लखनऊ।
- 4- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश।
- 5- ज्वाइंट कमिश्नर ( सर्वोच्च न्यायालय कार्य ) वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
- 6- ज्वाइंट कमिश्नर ( आई 0टी0) वाणिज्यकर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
- 7- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश।
- 8- संयुक्त निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- 11- मैनुअल / सेन्ट्रल रिकार्ड, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- 12- स्था-1, पटल को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।

हो-

( विनोद कुमार सिंह )

ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।